भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3132

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी

3132. **श्री राजकुमार रोतः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल 15 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को ही ऋण प्रदान किया गया है और यदि हां, तो ऐसे ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नाम-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत का समान ब्याज लिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ब्याज दरों में कोई रियायत प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा क्या पहल की गई है और लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के वे लाभार्थी, जिन्हें ऋण वितरित किए गए हैं, उनका श्रेणीवार विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत, दो किश्तों में 3 लाख रूपए की ऋण सहायता सहित, 5 प्रतिशत की रियायती निश्चित ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थी 18 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 1 लाख रुपए तक के ऋण की पहली किश्त प्राप्त कर सकते हैं। पहली किश्त के ऋण के पुनर्भुगतान के बाद पीएमवी लाभार्थी 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त प्राप्त कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा के तहत 5 प्रतिशत की रियायती निश्चित ब्याज दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी पीएमवी लाभार्थियों के लिए समान है।

भारत सरकार 8% की ब्याज सहायता प्रदान करती है। ऋण कवरेज को पोर्टफोलियो आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा के शुभारंभ के बाद से, एमएसएमई मंत्रालय ने पूरे देश में 814 जागरूकता कार्यक्रम/शिविर, 51 कार्यशालाएँ, 50 व्यापार मेले, 34 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियाँ और 52 से अधिक फ़्लैश मॉब आयोजित किए हैं, जिनमें राजस्थान में 47 जागरूकता कार्यक्रम/शिविर, 2 कार्यशालाएँ, 3 व्यापार मेले और 1 राज्य स्तरीय प्रदर्शनी शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने सोशल मीडिया, रेडियो जिंगल्स, समाचार पत्र विज्ञापनों और होर्डिंग, डिजिटल डिस्प्ले, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों आदि पर ऑडियो घोषणाओं के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की है।

******

अनुबंध-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3132, जिसका उत्तर दिनांक 07.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

जिला	**श्रेणी**	**पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को संवितरित ऋण**	**संवितरित ऋण की राशि (रु. लाख में)**
	सामान्य	53	50.44
	अन्य पिछड़ा वर्ग	308	287.16
	अनुसूचित जाति	76	66.72
बांसवाड़ा	अनुसूचित जनजाति	412	347.44
	सामान्य	48	46.00
	अन्य पिछड़ा वर्ग	385	367.20
	अनुसूचित जाति	35	29.10
डूंगरपुर	अनुसूचित जनजाति	141	129.28
	सामान्य	26	23.95
	अन्य पिछड़ा वर्ग	329	295.74
	अनुसूचित जाति	41	36.00
प्रतापगढ़	अनुसूचित जनजाति	80	62.55